न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12 / 2024 (अपील)

उनवान

रामदयाल पुत्र उंकार जाति बैरवा निवासी मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री भारतसिह अडसेला (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 13.02.2024 मि0न0 433 / 2024
न्यायालय नायब तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा।

निर्णय दिनांक : **2.08.2024**

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेराकार उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम मकडावद की ख0न0 398 की रकबा 0.05 हैक्टर किस्म बंजड आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर अपीलाण्ट को 21 दिवस का सिविल कारावास एवं तावान राशि 15/– रूपये अधिरोपित करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करने के संबध में ऐसा कोई पूर्व का रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट उक्त बंजड भूमि जों पूर्णतया अनुपयोगी है तथा पूर्व में खलिहान के रूप में काम आ रही है पर अपने अपने परिवार के रिहायश के लिये धर बनाना चाहता था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण किये बिना ही आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम मकडावद की ख0न0 398 की रकबा 0.05 हैक्टर किस्म बंजड आराजी पर पश्चातवर्ती अतिकमी होना मानकर अपीलाण्ट को 21 दिवस का सिविल कारावास एवं तावान राशि 15/– रूपये अधिरोपित करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी घोषित करने के संबध में ऐसा कोई पूर्व का रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया। तथा मौके पर विवादित भूमि बिलकुल खाली व रिक्त हालत में है। रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिकमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिकमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके **ग्राम मकडावद** स्थित आराजी खसरा नम्बर 398 की रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म बंजड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिकमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिकमण नहीं करेगा, एवं नियमानुसार तावान की राशि जमा करने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिकमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8, निर्णय आज दिनांक 2.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा